रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1990/अग्रहायण 20, 1912
No. 530] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1990/AGRAHAYANA 20, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1990

सा. का. नि. 942 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खुला परिदान देने की रीति और आंशिक परिदान प्रमाण-पत्र प्ररूप विहित किया जाना, नियम 1990 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है ।

(ख) "खुला परिदान" से ऐसे परेषण का परिदान अभिप्रेत है जो परेषिती या पृष्ठांकिती की मांग पर रेल प्रशासन द्वारा तब दिया जाता है जब ऐसा परेषण क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंचता है या उस पर बिगाड़े जाने के संकेत मिलते हैं ।

(ग) "आंशिक परिदान" से जब सम्पूर्ण परेषण गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा हो तब परेषण के एक भाग का परिदान अभिप्रेत है"

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और किन्तु परिभाषित नहीं है, और जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

3. परेषण का खुला परिदान :

जब कोई परेषण गंतव्य स्टेशन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंचता है या उसे बिगाड़े जाने के संकेत मिलते हैं तो परेषिती या पृष्ठांकिती इन नियमों के अनुसार ऐसे परेषण के खुले परिदान के लिए रेल प्रशासन से लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा ।

परन्तु क्षति की किसी मात्रा के किसी निर्धारण से इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निराकरण करने के रेल प्रशासन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. शर्तें जिनके अध्यधीन किसी क्षतिग्रस्त परेषण का खुला परिदान सौंपा जाएगा ।

रेल प्रशासन किसी क्षतिग्रस्त परेषण का खुला परिदान इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि परेषण की क्षति की मात्रा का निर्धारण ऐसा खुला परिदान देने वाले रेल सेवक द्वारा दृष्टिक जांच, और ऐसे अन्य रासायनिक या भौतिक परीक्षणों के आधार पर जो वह आवश्यक समझे, किया जाएगा ।

5. शर्तें जिनके अध्यधीन गड़बड़ किए गए परेषणों का खुला परिदान सौंपा जाएगा ।

रेल प्रशासन गड़बड़ किए गए परेषणों के खुले परिदान को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सौंप सकेगा, अर्थात् :—

(1) कमी की मात्रा का निर्धारण खुला परिदान सौंपने वाले रेल सेवक द्वारा परेषिती या पृष्ठांकिती द्वारा प्रस्तुत की गई रेल रसीद में अभिलिखित वहन के लिए बुक किए गए परेषण के ब्यौरों का मिलान करने के पश्चात किया जाएगा ।

(2) कमी की मात्रा का निर्धारण पैकेजों या परेषण की भाग रूप अन्तर्वस्तु की वस्तुगत गणना करने या वजन करके भी किया जा सकता है ।

6. क्षति या कमी के मूल्य का निर्धारण

परेषिती या पृष्ठांकिती खुला परिदान सौंपने वाले रेल सेवक को कमी या क्षति की संगणना करने के लिए समर्थ बनाने हेतु परेषण की अन्तर्वस्तु और मूल्य को उपदर्शित करने वाला मूल व्यापार बीजक या बीजक या पट्टी या कोई अन्य दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा ।

7. आयातित परेषण

आयातित परेषणों की बाबत नियम 4 और 5 के अधीन खुला परिदान परेषिती या पृष्ठांकिती को अग्रेषण और निकासी अभिकर्ता बिल और यदि ऐसे परेषण का तब सर्वेक्षण किया गया हो तो ऐसे परेषणों की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए सौंपा जाएगा ।

8. खुले परिदान का अभिलेख

(1) प्रत्येक परेषण की बाबत खुले परिदान का अभिलेख अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखा जाएगा ।

(2) उप नियम 1 में निर्दिष्ट प्ररूप की एक प्रति यथास्थिति, परेषिती या पृष्ठांकिती को दी जाएगी ।

9. आंशिक परिदान प्रमाणपत्र

जहां आंशिक परिदान सौंपा जाता है—वहां रेल प्रशासन परेषिती या पृष्ठांकिती को अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट आंशिक परिदान प्रमाणपत्र देगा ।

[सं. 89-टी सी 3/29/2 आर. ए. / 89 (खण्ड 81)]

सु. कु. मलिक, निदेशक,
यातायात वाणिज्य (दावा) रेलवे बोर्ड

अनुसूची—1

(नियम 4 और 5 देखें)

परेषण के खुले परिदान का अभिलेख

सं.————तारीख————स्टेशन मुद्रा————से
————आया————बीजक सं.————रेल रसीद सं.——
तारीख————परेषण————वैगन सं.————

प्रेषक————— परेषिती/पृष्ठांकिती

रेल रसीद पर टिप्पण

खुला परिदान सौंपने के समय पैकिंग की पायी गई वास्तविक अवस्था—(जहां सुसंगत हो)—

परिदान टिप्पण (क्षति/कमी की मात्रा और कैसे निकाली)————

खुला परिदान लेने वाले परेषिती/पृष्ठांकिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर	खुला परिदान सौंपने वाले रेल सेवक के पदाभिदान सहित पूरे हस्ताक्षर

परेषिती/पृष्ठांकिती/या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

पूरा पता————

अनुसूची-2

आंशिक परिदान प्रमाणपत्र

(नियम 9 देखिए)

————रेल ने बीजक सं.————के अधीन रेल रसीद सं.————तारीख को————से ————होकर————के लिए बुक किए गए——के पैकेज जो कि परेषण का भाग है————के————पैकेजों का परिदान किया ।

आंशिक परिदान सौंपने वाले रेल सेवक
के पदाभिधान सहित पूरे हस्ताक्षर

एस. के. मलिक, निदेशक
यातायात वाणिज्य (दावा)
रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1990

G.S.R. 942(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (h) and (i) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—

1. These rules may be called the Manner of Giving Open Delivery and Prescription of Partial Delivery Certificate Form Rules, 1990.

IndiaCode

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition :

In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Railways Act, 1989 (24 of 1989) ;

(b) "Open Delivery" means delivery of a consignment given by railway administration on the demand of the consignee or endorsee when such consignment arrives in a damaged condition or shows signs of having been tampered with".

(c) "Partial Delivery" means delivery of a part of the consignment where the whole consignment has not arrived at the destination ;

(d) "Schedule" means the Schedule to these rules ;

(e) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Open delivery of consignment :

Where any consignment arrives at the destination station in a damaged condition or shows signs of having been tampered with, the consignee or the endorsee may make a request in writing to the railway administration for open delivery of such consignment, in accordance with these rules.

Provided that any assessment of the extent of damage shall not prejudice the rights of the railway administration to repudiate its liability under the Act.

4. Condition subject to which open delivery of a damaged consignment shall be given :

A railway administration may give open delivery of a damaged consignment subject to the condition that the extent of damage to the consignment shall be assessed by the railway servant granting such open delivery on the basis of visual examination and such other chemical or physical tests as he may deem necessary.

5. Conditions subject to which open delivery of tampered consignments shall be given :

A railway administration may give open delivery of tampered consignments subject to the following conditions namely :—

(1) Assessment of the extent of shortage shall be done by the railway servant granting open delivery after comparing the details of the consignment booked for carriage as recorded in the railway receipt produced by consignee or the endorsee.

(2) The extent of shortage may, also, either be assessed, by physical counting of the packages and their contents forming the consignment, or by weighment.

6. Assessment of the value of damage or shortage :

The consignee or the endorsee shall produce the original trade invoice or beejuck or puttee or any other documentary proof indicating the contents and value of the consignment to enable the railway servant granting open delivery to compute the shortage or damage.

7. Imported Consignments :

With respect to imported consignments open delivery under rules 4 and 5, shall be given subject to the consignee or endorsee producing the Forwarding Agents clearance bill and if such consignments have been surveyed then, the survey report of such consignments.

8. Record of open delivery :

(1) The record of open delivery shall be maintained in the form specified in Schedule I with respect to each consignment.

(2) A copy of the form referred to in sub rule 1 shall be provided to the consignee or the endorsee as the case may be.

9. Partial Delivery Certificate :

Where partial delivery is given the railway administration shall furnish to the consignee or endorsee a Partial Delivery Certificate as specified in Schedule II.

[No. 89-TCIII|29|2|RA|89(Sec. 81)]

S. K. MALIK,

Director, Traffic Commercial (Claims) Railway Board.

SCHEDULE-I

(See Rule 4 & 5)

RECORD OF OPEN DELIVERY OF CONSIGNMENT

No.———— Dated————Station Stamp
From———— To————
Via———— Invoice No.————
R. R. No.———— dated————
Consignment of———— Wagon No.————
Sender———— Consignee|Endorsee————
————Remarks on the R. R.
Actual condition of packing found at the time of giving open delivery (wherever relevant)————
Delivery remarks (Extent of Damage|Shortage and how arrived at)————

Signature in full of the consignee|endorsee or his authorised representative taking open delivery with date

Signature in full of the Railway Servant, with designation, granting open delivery

Name of consignee|endorsee|or his authorised representative

Full Address————

SCHEDULE-II

PARTIAL DELIVERY CERTIFICATE

(See Rule 9)

The————Railway has delivered ————number of packages of———— ————forming part of the consignment booked from————to———— via————under Invoice No.———— Railway Receipt No.————dated———— consisting of————packages of————.

Signature in full of the Railway servant, with designation, granting partial delivery.

S. K. MALIK,
Director, Traffic Commercial (Cl.) Railway Board.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990